

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

✓जिला कलकटर,  
शुशुनू।

क्रमांक 7(8)कार्मिक / क-2 / 2008पार्ट

जयपुर, दिनांक: 15 NOV 2019


विषय:—ओ.वी.सी.(नौन क्रीमीलेयर) प्रभाण-पत्र बनाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत।

सन्दर्भ:—आपका पत्र क्रमांक 527 दिनांक 29.07.19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ आप हारा पूछे गये विन्दु संख्या 03, 04 एवं 05 के क्रम में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है:-

3. क्रीमीलेयर/नौन क्रीमीलेयर हेतु रोवाओं का वर्गीकरण वेतनमान के आधार पर न करते हुए पत्र दिनांक 02.05.2019 के अनुसार राज्य सेवाएं एवं अधीनस्थ सेवाओं के अनुसार ही रखा जाना है।
4. 40 वर्ग के उपरान्त रीभी भर्ती से वर्ग-1 में आने वाला व्यक्ति और 40 वर्ग के उपरान्त पदोन्नति से वर्ग-1 में आने वाला कर्मचारी दोनों ही नौन-क्रीमीलेयर में आयेंगे, इनमें कोई अंतर नहीं होगा।
5. इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.05.2019 के हारा दिया गया निर्देश उक्त दिनांक के पश्चात बनाये जाने वाला सभी प्रगाण पत्र बनाने पर लागू होंगे।

  
(जय सिंह)  
उप शासन राजिव

प्रतिलिपि:—निम्नानुकूल को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. राजिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. रामरत कलकटर्स (रामरत संभागीय आयुक्त राहित), राजस्थान।
3. रामरत विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

11  
उप शासन सदिव